an>

Title: Need to bring National Family Benefit Scheme and Indira Gandhi National Widow Pension Scheme under Mahila Kalyan Vibhag in Uttar Pradesh.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना गरीबी रेखा के अधीन 18 से 65 वर्ष के अंतर्गत परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु की स्थिति में मृतक की विधवा पत्नी को 100 प्रतिशत केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजना के अंतर्गत मृत्यु की तिथि से एक साल के अंदर संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की प्रत्येक दशा में मृत्यु की तिथि से दो माह के अंदर ही आवेदन-पत्र भरवाकर योजना का लाभ दिलाए जाने की जिम्मेदारी वर्तमान में समाज कल्याण अधिकारी की है। उक्त आवेदन-पत्र का सत्यापन संबंधित तहसील के उप जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से ही कराया जाता है। अतः समाज कल्याण विभाग के किसी भी क्षेत्रीय कर्मचारी यथा पर्यवेक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है।

चूंकि प्रमुख सचिव, समाज कल्याण के शासनादेश संख्या 2069 दिनांक 28 जुलाई, 2011 द्वारा बिन्दु संख्या 11 में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि ""जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित परिवार की देय पारिवारिक लाभ की सुविधा के समय ही उनकी विधवा को नियमानुसार देय विधवा पेंशन के लिए समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराकर तत्काल पेंशन स्वीकृत की जाने की कार्यवाही की जाए।"" इस संबंध में मेरा यह मानना है कि चूंकि जनपदों में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संचालित है। अतः स्पष्ट है कि दोनों योजनाएं जो मृतक आश्रित विधवा को लाभान्वित किए जाने से संबंधित हैं, एक ही ऑफिस/जनपदीय अधिकारी महिला कल्याण विभाग अंतर्गत जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा क्रियान्वित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

चूंकि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं इंदिरा गांधी नेशनल विधवा पेंशन की जनपद में क्रियान्वयन विभाग अलग-अलग क्रमशः समाज कल्याण एवं महिला कल्याण विभाग होने के कारण प्रायः किंचित ही संभव हो पाता होगा कि समन्वय के अभाव में समस्त पात्र ""मृतक आश्रित विधवा"" को लाभान्वित करने में पूरी तरीके से न तो मानीटरिंग की कोई व्यवस्था प्रतीत होती है और न ही उचित क्रियान्वयन हो पाता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि चूंकि प्रश्नगत पॉलिसी विषयक है, महिला कल्याण विभाग के जनपदीय अधिकारियों के पास काम ज्यादा न होने एवं ""मृतक आश्रित विधवा"" के हित में उक्त योजनाओं के सफल संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें।